



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University, Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India
(Declared vide Govt. of India MHRD Notification NO. F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995
under section 3 of UGC Act, 1956)

क्र. RS/B/MESS SOP/2023-24/309 (H)

दिनांक 25-11-23

कार्यालय आदेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन उपरांत संस्थान भोजनालय के सुचारु संचालन हेतु संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण अपने दायित्वों का निर्वहन जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्राधिकार: कार्यवाहक कुलपति महोदय का अनुमोदन दिनांक 25.11.2023)


25/11/23

(अमित यादव)

प्रभारी कुलसचिव

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

- कुलपति सचिवालय
- कुलसचिव सचिवालय
- वित्त अधिकारी
- मैस वार्डन
- मैस पर्यवेक्षक
- समन्वयक, I.C.T. - संस्थान की वेबसाईज पर अपलोड किये जाना सुनिश्चित करें।
- समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण
- संबंधित पंजी